

2.12.2021

"प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021"

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

वादी	ब	प्रतिवादी
पुरुणाशम पुत्र कैलाशम मार शबलशुभ	ना म	राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी

राजस्व वाद-पत्र = वाद रेकर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act 1955 एवं 136 R.L.Act 1956 शुद्धि बाबत

वाद-पत्र नम्बर 277 / 2021

GCMS No. 2021 / 1038

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो  
इस हुक्म की  
तारीख में जारी  
हुए

2/12/21

वादी श्री पुरुणाशम पुत्र कैलाशम  
जाति मार निवासी शबलशुभ द्वारा आज "प्रशासन  
गांवों के संग अभियान 2021 " कैम्प ग्राम पंचायत चापलास  
में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर जमाबन्दी सम्बत 2073-2075  
ग्राम शबलशुभ पटवार मण्डल चापलास के खाता  
नम्बर 96, 301 मे वादी की राजस्व रेकर्ड में प्रविष्टि  
नौपाराम पुत्र खुशामत  
दर्ज है, जो अशुद्ध है।

वादी का शुद्ध नाम नौपाराम पुत्र खुशामत

है, तथा इसी अनुसार  
राजस्व रेकर्ड में शुद्ध प्रविष्टि दर्ज करने का निवेदन किया है।  
जिसके लिए बतौर साक्ष्य स्वरूप वादी द्वारा परिवार राशन कार्ड न.  
60837900410 आधार नम्बर 9697392352, 6523353 530  
मतदाता पहचान पत्र R/25/18/654 314 अन्य दस्तावेज  
शापाम, खुशामत पर 2021 की छाया प्रति प्रस्तुत की है।

इस संबंध में हल्का पटवारी चापलास भू.अ.नि. माराम  
एवं तहसीलदार कुचामनसिटी/नायब तहसीलदार चितावा से रिपोर्ट  
तलब की गई, रिपोर्ट में इन्होंने वादी का उपरोक्तानुसार नाम एवं  
प्रविष्टि शुद्ध किये जाने की अनुशंसा की है।

अतः वादी का वाद-पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार  
राजस्व रेकर्ड में शुद्ध प्रविष्टि किये जाने के आदेश प्रदान किये  
जाते हैं। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे।  
पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल हो।



उपखण्ड अधिकारी  
कुचामन सिटी (नागौर)

1135-1141

